



श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान

हमारा प्रयास - सबको आवास



श्री शान्ति कुमार धारीवाल
मंत्री स्वायत्त शासन,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान

राजस्थान आवासन मण्डल

अटल नगर आवासीय योजना, भीण्डर

पंजीकरण योजना * वर्ष * 2020

RERA Reg. No. RAJ/P/2020/1306

अल्प आयवर्ग, मध्यम आयवर्ग-ब
के स्वतंत्र आवास

योजना | 01 सितम्बर 2020 से
अवधि | 30 सितम्बर 2020 तक



‘मंडल का है यह सपना, सुंदर घर हो सबका अपना’

आवासन मण्डल की योजनाओं के अन्तर्गत मकान प्राप्ति से विशेष लाभ

- मण्डल द्वारा निर्मित मकान खरीदने का निर्णय लेते ही आपके धन, समय व श्रम की बचत होती है और मकान बनाने के लिये आपको अलग से भूखण्ड खरीदने तथा उपकरण जुटाने की परेशानी में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती।
- मकान के लिये एक साथ पैसा जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी। मण्डल के मकान के लिये आप निर्धारित किश्त देते रहे तो भी कुछ ही वर्षों में मकान आपका हो जायेगा।
- मण्डल द्वारा निर्मित मकानों का डिजाइन अनुभवी अभियन्ताओं/वास्तुकार द्वारा बनाया जाता है, जिससे मकान में न केवल समस्त आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होती हैं बल्कि स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में रहने का लाभ भी प्राप्त होता है।
- मण्डल का मकान खरीदने का अर्थ होगा, सही तर्क संगत मूल्य में वैज्ञानिक ढंग से विकसित कॉलोनी में उद्यान, स्कूल, दुकानें, यातायात सुविधाओं से युक्त साफ स्वस्थ और आकर्षक पर्यावरण का आवास।
- मण्डल बिना लाभ-हानि के सिद्धान्त पर चलता है तथा बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य करता है। अतः निर्विवाद रूप से मण्डल के मकान सस्ते पड़ते हैं।



राजस्थान आवासन मण्डल

“पंजीकरण योजना वर्ष 2020”

(अटल नगर आवासीय योजना, भीण्डर)

अल्प आयवर्ग एवं मध्यम आयवर्ग-ब

के स्वतंत्र आवासों हेतु

आवेदन पत्र की बिक्री / प्राप्ति व वरीयता निर्धारण का

कार्यक्रम

1. ऑफ लाइन आवेदन-पत्र उपलब्ध : 01.09.2020 से 30.09.2020 तक
2. ऑफ लाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने : 30.09.2020 की अंतिम तिथि
3. योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु अस्थाई सूची प्रकाशन की तिथि एवं स्थान
4. अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि
5. वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान
6. वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान

अन्तिम तिथि के पश्चात मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर सार्वजनिक सूचना जारी की जावेगी।

सम्पर्क सूत्र

उप आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-उदयपुर,
पारस तिराहा, सेक्टर 11, हिरण मगरी, उदयपुर
मो. : 9413018603

आवासीय अभियन्ता,
राजस्थान आवासन मण्डल,
खण्ड-प्रथम, उदयपुर
मो. : 9983993914

परियोजना अभियन्ता (व),
राजस्थान आवासन मण्डल,
खण्ड-प्रथम, उदयपुर
मो. : 7665437575

विशेष :

1. रेरा पंजीकरण संख्या RAJ/P/2020/1306
2. आवेदन पत्र रू. 300 + 54 (18% GST) कुल रू. 354/- जमा करवाकर कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-उदयपुर, सेक्टर-11, सलूम्बर चौराहा, उदयपुर एवं आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, भीण्डर से प्राप्त किये जा सकते हैं।
3. आवेदन पत्र पूर्ण कर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, भीण्डर में जमा कराए जा सकेंगे।



राजस्थान आवासन मण्डल

“पंजीकरण योजना वर्ष 2020”
(अटल नगर आवासीय योजना, भीण्डर)
अल्प आयवर्ग एवं मध्यम आयवर्ग-ब
के स्वतंत्र आवासों हेतु

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा आवासन मण्डल अधिनियम — 4 वर्ष 1970 के अंतर्गत राज्य में आमजन को सुलभ आवास उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से आवासीय कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है।

मण्डल का विशेष रूप से ध्यान आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिए मकान उपलब्ध कराने पर केन्द्रित रहा है। यद्यपि यह कार्य काफी कठिन एवं चुनौतीपूर्ण है, फिर भी मण्डल द्वारा सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे आवास बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हों। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि आवासों की कीमत तर्कसंगत हो व संबंधित आय वर्ग के आवेदक की भुगतान क्षमता में हो।

“पंजीकरण योजना वर्ष 2020”
(अटल नगर आवासीय योजना, भीण्डर)

भीण्डर की आवास समस्या के निराकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल समय समय पर विभिन्न आवासीय योजनाओं की सफलता के बाद भीण्डर शहर में (अटल नगर आवासीय योजना, भीण्डर) (पंजीकरण योजना वर्ष 2020) प्रारम्भ करने जा रहा है, जिसमें अल्प आय वर्ग के लगभग 38 व मध्यम आय वर्ग-ब के लगभग 25 स्वतंत्र आवास निर्मित किये जाने प्रस्तावित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

तालिका-1

आवासों का आय वर्ग, संख्या एवं अनुमानित लागत :-

क्र. सं.	आय वर्ग	अनुमानित संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (मीटर में)	अनुमानित निर्मित क्षेत्रफल वर्गमीटर में	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
1.	अल्प आय वर्ग	38	6.00 मी. X 15.00 मी. (90.00 वर्गमीटर)	29.12 वर्गमीटर	8.85 Lakh
2.	मध्यम आयवर्ग-ब	25	9.00 मी. X 18.00 मी. (162.00 वर्गमीटर)	50.86 वर्गमीटर	19.75 Lakh

- (i) आवासों का अनुमानित संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
- (ii) उक्त तालिका में आवासों की केवल अनुमानित लागत ही बताई जा रही है, जिसमें कमी अथवा बढ़ोतरी हो सकती है। चूंकि मण्डल आवासों का आवंटन “बिना लाभ बिना हानि सिद्धान्त” के आधार पर करता है। अतः मण्डल द्वारा आवास की अन्तिम रूप से निर्धारित लागत ही मान्य होगी व इस हेतु आवंटन का कोई आक्षेप मान्य नहीं होगा।

आवासीय योजना की विशेषताएँ :-

यह आवासीय योजना भीण्डर शहर के समीप स्थित है। इस योजना की प्रमुख स्थलों से लगभग दूरी निम्नानुसार है :-

1. उदयपुर-भीण्डर मुख्य मार्ग	0.500 कि.मी.
2. भीण्डर रेलवे स्टेशन	0.75 कि.मी.
3. भीण्डर बस स्टैण्ड	01.50 कि.मी.

पंजीकरण की पात्रता एवं शर्त :-

आवासों का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय समय पर जारी नियमों, उपनियमों एवं उपबंधों / परिपत्रों के अधीन निम्नानुसार किया जावेगा:-

1. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किसी भी वयस्क भारतीय नागरिक, जिसकी आवेदन भरने की तिथि को आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये, को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर में आवास का आवंटन किया जा सकता है।
- 2.(अ) आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)
- (ब) आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र “आधार कार्ड” (यू.आई.डी.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए। (यदि प्राप्त कर लिये हो)
3. प्रस्तावित योजना में किसी संस्था / कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. यदि कोई पूर्व पंजीकृत आवेदक, जिसे मण्डल द्वारा आवेदन की तिथि तक आवास का आवंटन नहीं किया है, और वह इस योजना में आवेदन करता है तो उसकी पूर्व निर्धारित वरीयता के आधार पर आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। इस बाबत आवेदक अपने पूर्व पंजीकरण एवं वरीयता क्रमांक का उल्लेख आवेदन पत्र में करेगा तथा शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया है तथा न ही आवासन मण्डल द्वारा उसे कोई आवास आवंटित किया गया है।

5. मण्डल द्वारा आवासों के आवंटन में आरक्षित कोटे का प्रावधान निम्नांकित श्रेणियों/वर्गों के लिए उनके समक्ष अंकित प्रतिशत के अनुसार होगा :-

आवासन मण्डल द्वारा इस योजना में आवासों के आवंटन में आरक्षित कोटा निम्नानुसार होगा :-

मण्डल द्वारा विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्मित मकानों के आवंटन में आरक्षण का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है:-

तालिका 2

क्र.सं.	वर्ग	आवेदक की श्रेणी	आरक्षण का प्रतिशत
1	जी-1	वैतनिक श्रेणी वैतनिक श्रेणी-प्रथम (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी/प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी) वैतनिक श्रेणी-द्वितीय(राज्य सरकार के कर्मचारी.अधिकारी)	18.00 प्रतिशत 10.00 प्रतिशत
2	जी-2	अवैतनिक श्रेणी अवैतनिक श्रेणी-प्रथम (G-2-I) – सामान्य अवैतनिक श्रेणी-द्वितीय (G-2-II) – प्रोफेशनल श्रेणी (केवल प्राफेशनल एडवोकेट. चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट एवं प्राइवेट डॉक्टर्स)	29.00 प्रतिशत 05 प्रतिशत
3	जी-3	राजस्थान आवासन मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	01 प्रतिशत
4	जी-4	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत
5	जी-5	अनुसूचित जन जाति	12 प्रतिशत
6	जी-6	वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार	1.5 प्रतिशत
7	जी-7	स्वतंत्रता सैनानी	0.5 प्रतिशत
8	जी-8	भूतपूर्व सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं	03 प्रतिशत
9	जी-9	दिव्यांग (अंधता/शारीरिक/मूक बधिर)	01 प्रतिशत 01 प्रतिशत 01 प्रतिशत
10	जी-10	वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाडी	01 प्रतिशत
		योग	100.00प्रतिशत

नोट. (अ) श्रेणीवार आरक्षित कोटा निर्धारण हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र अनिवार्य है अन्यथा आवेदक का पंजीकरण अवैतनिक श्रेणी प्रथम में मान लिया जायेगा।

(ब) यदि उपरोक्त तालिका की क्रम संख्या 1 से 10 में दर्शित वर्ग के आवेदकों के पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो अन्य श्रेणी आवेदकों के आवास गैर वेतन भोगी वर्ग (जी2-1) के लिए अन्तरित कर दिये जायेंगे।

(स) आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए यदि एक भी आवास उस आरक्षित श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध न होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र को सामान्य श्रेणी अवैतनिक वर्ग के आवेदकों की (जी2-1) में सम्मिलित किया जावेगा।

(द) प्राईवेट सेक्टर में उन्हीं कार्मिकों को शामिल किया जायेगा, जिनकी भविष्य निधि की कटौती उनके संस्थान द्वारा की जाती है तथा संस्थान द्वारा स्थाई वैतनिक होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एवं कार्मिक द्वारा आयकर विवरणी का ब्यौरा संस्थान/कर विभाग को प्रस्तुत किया जाता है।

6. "आरक्षित श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से दिव्यांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सैनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाडी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ-पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।"
7. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज/सूचनाएं गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
8. पंजीकरण राशि निम्नानुसार आवेदन पत्र के साथ देय है, जिसका विवरण निम्नांकित सारणी के अनुसार है :-

तालिका -3

क्र. सं.	आयवर्ग	वार्षिक आय (रुपये में)	पंजीकरण राशि	प्रोसेसिंग फीस (रुपये में)	कुल जमा योग्य राशि (रुपये में)
1	अल्प आय वर्ग	300001/- से 600000/- तक	15000.00+12% कुल राशि 16800/-	700.00+18% कुल राशि 826/-	17626/-
2	मध्यम आयवर्ग-ब	1200001/- से 1800000/- तक	80000+12% कुल राशि 89600/-	1500+18% कुल राशि 1770/-	91370/-

9. आवासों का आवंटन नगद भुगतान/किराया क्रय पद्धति के आधार पर किया जायेगा। निर्मित आवासों में 45 प्रतिशत आवास नगद भुगतान तथा 55 प्रतिशत किराया क्रय पद्धति पर आवंटित किये जाएंगे।

10. नगद भुगतान पद्धति से आवास आवंटित होने पर उसे किराया क्रय पद्धति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते हैं।
12. वर्तमान/भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी वीरांगनाओं को पंजीकरण राशि का 10 प्रतिशत जमा कराना होगा।
13. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस अल्प आय वर्ग के आवेदक हेतु राशि रुपये 700/- + 18 प्रतिशत एवं मध्यम आय वर्ग व हेतु राशि रु. 1500/- + 18 प्रतिशत देय होगी एवं उपरोक्त देय प्रोसेसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान/समायोजन नहीं किया जायेगा।
14. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। लॉटरी के पश्चात शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि (बिना ब्याज) आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाता संख्या में लौटा दी जायेगी।
15. सामान्य एवं विशिष्ट पंजीकरण योजना के आवासों हेतु पूर्व ग्रहण राशि जमा कराने के प्रावधान निम्नानुसार एवं विवरण तालिका-4 अनुसार है:-

आवास आवंटन से पूर्व आवेदकों को अपने आय वर्ग के अनुसार आवास आरक्षित करने हेतु पूर्वग्रहण राशि तीन किशतों में जमा करानी होती है। प्रथम किशत. पूर्वग्रहण राशि-पत्र जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर एवं दूसरी किशत उसी पत्र के जारी होने की तारीख से 4 माह के अन्दर तथा तीसरी किशत का भुगतान उसी पत्र के जारी होने की तारीख से 7 माह के अन्दर या आवास आवंटन के समय जो भी पहले हो जमा करानी होगी।

तालिका -4

क्र. सं.	आय वर्ग	पूर्वग्रहण राशि किशत (रुपये में)			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	योग
1	अल्प आय वर्ग	10000	10000	10000	30000
2	मध्यम आयवर्ग-ब	70000	70000	60000	200000

16. आरक्षण पत्र के अनुसार प्राप्त की जाने वाली किशत की राशि पर नियमानुसार जी.एस.टी. की राशि अलग से देय होगी।

17. आवेदकों को **बिन्दु सं. 15** के अनुसार जारी किये जाने वाले पूर्व ग्रहण राशि पत्रानुसार निर्धारित तिथि तक वांछित किशतों की राशि जमा करानी होगी। विलम्ब से जमा की जाने वाली किशत की राशि पर आवेदक द्वारा 12 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ती / ब्याज देना होगा।
18. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। लॉटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया जायेगा।
19. **रिफण्ड**
 - (i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
 - (ii) योजना की वरीयता लॉटरी के आयोजन के पश्चात पूर्वग्रहण राशि पत्र जारी करने से पूर्व यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 5 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
 - (iii) यदि आवेदक पूर्वग्रहण राशि का पत्र जारी होने के पश्चात राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
20. प्रस्तावित योजना यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी पंजीकरण राशि 6 प्रतिशत सामान्य ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।
21. आवास आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किशतें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।
22. मण्डल निर्मित आवासों की वास्तविक लागत कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्धारित करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है एवं इस संबंध में मण्डल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
23. किराया क्रय पद्धति से आवास आवंटित होने पर तथा आवास का कब्जा नहीं लिये जाने की स्थिति में यदि कोई आवंटी चाहे तो वह भुगतान पद्धति को नगद भुगतान में परिवर्तित करवा सकता है। इस बाबत आवंटी को आवंटन पत्र जारी होने की दिनांक से 6 माह के अन्दर आवेदन करना होगा। संशोधित आवंटन-पत्र पूर्व में जारी आवंटन पर के निरन्तर क्रम में जारी किया जायेगा तथा उसकी जारी करने की तिथि पूर्व में जारी पत्र की ही मान्य होगी एवं आवास की एक मुश्त (नगद भुगतान)

राशि नियत उक्त छः माह की अवधि में ही नियमानुसार शास्ति/ब्याज सहित जमा करानी होगी। उक्त अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् आवंटित आवास की कार्यवाही किराया क्रय पद्धति के अनुरूप ही की जायेगी। नगद भुगतान पद्धति से आवास आवंटित होने पर उसे किराया क्रय पद्धति में परिवर्तित नहीं किया जावेगा।

24. आवेदक को लॉटरी द्वारा आवास आवंटित किये जाने के पश्चात् आवास की देय बकाया राशि जमा कराने हेतु आवंटन-पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा। उक्त आवंटन पत्र की मांग राशि जमा कराने के लिये समयावधि मण्डल द्वारा नियमानुसार प्रदान की जावेगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही कर आवास का पंजीकरण एवं आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
25. पूर्वग्रहण राशि पत्र के मांग पत्र के अनुसार प्रथम किस्त की राशि जमा कराने वाले आवेदकों को देख-रेख योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान ही आवासों का आवंटन कर दिया जायेगा, जिससे आवेदक अपने आवास के निर्माण का निरीक्षण स्वयं भी कर सकें।
26. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप आवास के आवंटन पत्र में वर्णित अन्य विविध खर्चे देय होंगे, जिनका आवासों की लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है, ऐसे खर्चे निम्न प्रकार के होंगे:-
- (क) लीज राशि: यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।
- (ख) किराया क्रय अग्रिम जमा राशि : यह राशि जो कि आवास की कुल कीमत का 5 प्रतिशत है, मण्डल के पास धरोहर के रूप में जमा रहेगी और आवंटी द्वारा विभिन्न बकाया राशि समय पर जमा न कराने की दशा में जब्त की जा सकती है। यह राशि किराया क्रय अवधि के संतोषप्रद रूप से पूर्ण हो जाने पर समायोजित/लौटा दी जावेगी।

(ग) अन्य खर्चे :

- (i) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व कॉर्नर आवासों के लिए 242वीं बोर्ड बैठक में अतिरिक्त भूमि का भी आवंटन पत्र की दर से लिये जाने का प्रावधान किया है, नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।
- (ii) अन्य विविध खर्चे, जो कि मण्डल समय समय पर निर्धारित करें।
27. मण्डल के आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर आवास का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

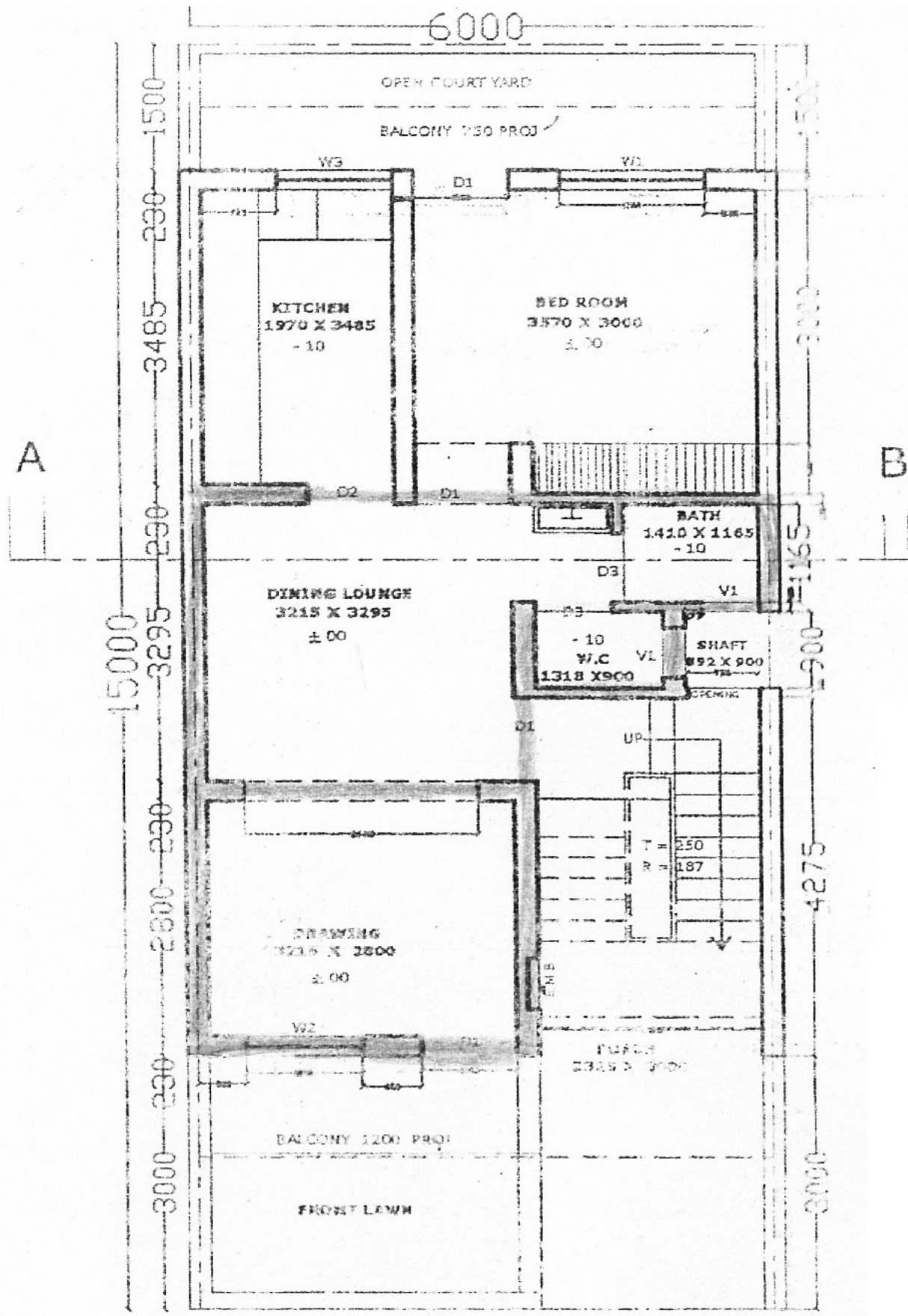
28. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा, जैसे—आवास सम्पत्ति कर, नगर पालिका कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।
29. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि आवास का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवास का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार पंजीकरण राशि जब्त करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
30. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/फिक्सचर आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा :—
 1. विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर
 2. सेनेटरी फिटिंग
 3. अंतिम पुताई यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो।
31. आवासन मंडल अपनी योजनाओं/आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर अथवा किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टरों में मकान/लैट नहीं देने की स्थिति में उसी शहर के अन्य योजनाओं में मकान/लैट उपलब्ध करवाने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा एवं इस विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा। आवंटित किये जाने वाले मकान/लैट प्रस्तावित डिजाइन/स्पेशिफिकेशन आदि में परिवर्तन किये जाने का मण्डल को पूर्ण अधिकार होगा।
32. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उपबंधों/परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।
33. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद में किसी आगामी **Stage** पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।

34. पंजीकरण की राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा जमा की जायेगी। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक का पूर्ण विवरण अर्थात् संख्या, दिनांक तथा सम्बंधित बैंक जिससे बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक प्राप्त किया गया है, चालान में निर्धारित स्थान पर अंकित किया जावे। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक “राजस्थान आवासन मण्डल, भीण्डर” के पक्ष में देय होना आवश्यक है। आवेदन पत्र, संलग्न चालान, बैंक ड्राफ्ट तथा वांछित दस्तावेजों सहित डाक या स्वयं के द्वारा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, भीण्डर के पते पर निर्धारित दिनांक तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् पंजीकरण आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 35.(अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना संबंधित उपखण्ड भीण्डर कार्यालय अथवा कार्यालय खण्ड—प्रथम उदयपुर के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मण्डल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात् ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवें।
- (ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्य जन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय—समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय में सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लेवें।
36. वित्तीय सुविधायें: आवासन मण्डल से आवास लेने वाले आवेदक/आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत् आवासन मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जाएंगे।
37. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा—आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक—एक स्व—हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।
38. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 7 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत आवास लेना चाहता है।
39. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भुगतान पद्धति स्पष्ट अंकित की जानी चाहिए, यदि नहीं करता है तो उसे किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत माना जायेगा।

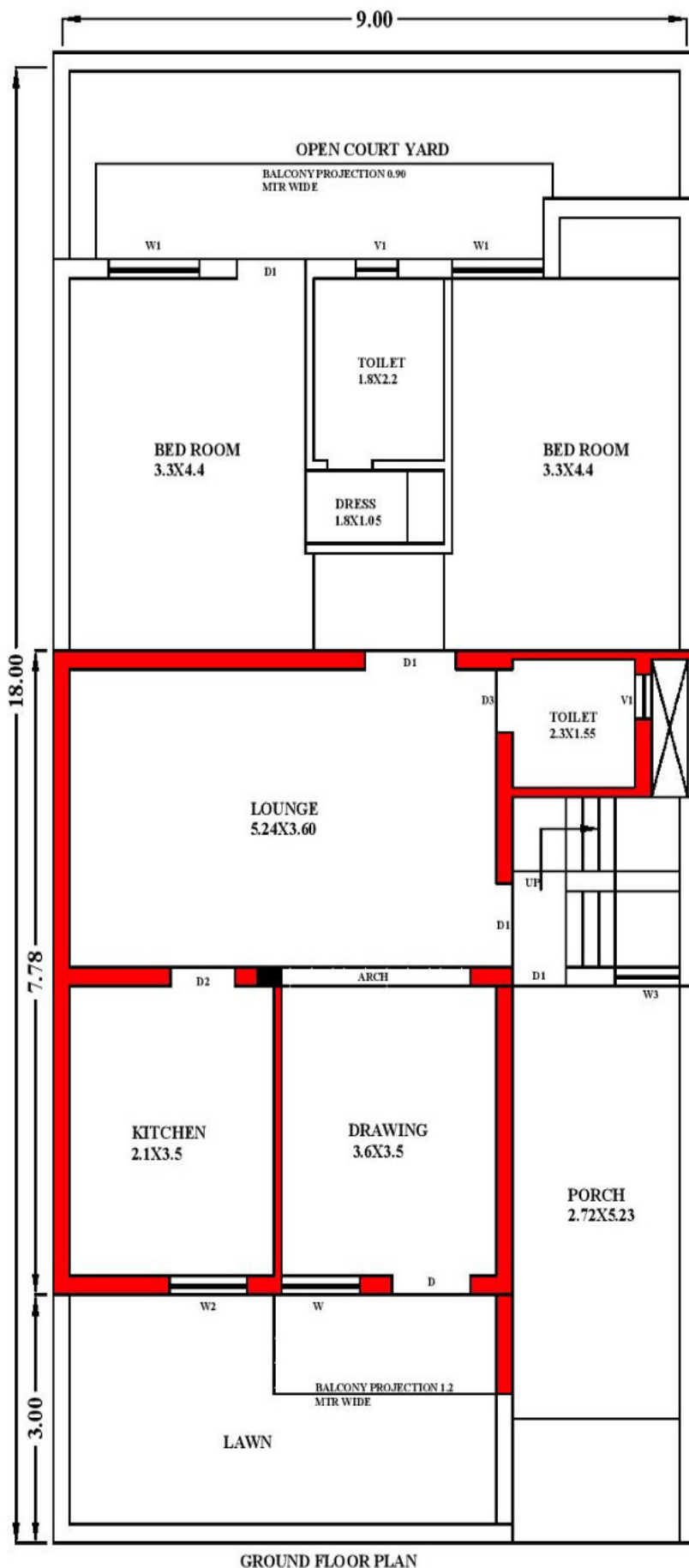
40. आवेदन पत्र में किसी विवरण को हटाने, मिटाने या उसके ऊपर काटकर दुबारा लिखना निषेधित है। अतः आवेदनकर्ताओं को परामर्श है कि आवेदन पत्र को भरते वक्त पूर्ण सावधानी बरतें तथा उपरोक्त स्थिति में आवेदक स्वयं पूर्ण हस्ताक्षर करें।
41. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यों को छुपाने अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये शून्य घोषित कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमानुसार पंजीकरण राशि जब्त करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
42. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एवं आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चस्पा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु:

- i. इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो तथा आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
- ii. दो आरक्षित वर्गों के लिए योग्यता रखने वाले आवेदकों को किसी भी एक आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत पंजीकरण कराने का आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण राशि उसी के अनुरूप जमा करानी होगी।
- iii. आवेदन-पत्र में आवेदक ने आय के स्वरूप वाले कॉलम में वैतनिक अथवा अवैतनिक का उल्लेख नहीं किया तो वेतन प्रमाण-पत्र के अभाव में आवेदक को अवैतनिक श्रेणी में माना जावेगा।
- iv. अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी तथा पंजीकरण राशि में छूट का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- v. “आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से दिव्यांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/ सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सेनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- vi. आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।
- vii. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।
- viii. आवास आवंटन/कब्जे के बाद आवास का रख-रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।
- ix. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद भीण्डर शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।
- x. आवासन मण्डल की इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।
- xi. इस योजना में निर्धारित आयवर्ग से दो आयवर्ग ऊपर अथवा दो आयवर्ग नीचे के आवेदक भी मण्डल नियमानुसार आवेदन कर सकेंगे। इस स्थिति में वरीयता निर्धारण हेतु मूल आयवर्ग के आवेदक को प्रथम वरीयता तथा मूल आयवर्ग के ऊपर के आयवर्ग के आवेदकों को द्वितीय वरीयता तथा मूल आयवर्ग से नीचे के आयवर्ग को तृतीय वरीयता दी जायेगी।
- xii. आवेदन पत्र पुस्तिका (Booklet) आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, भीण्डर से रु. 300 + 54 (18% GST) कुल रु 354/- नगद देकर व्यक्तिशः प्राप्त किया जा सकता है एवं इन्टरनेट से फार्म डाउनलोड किया जा सकता है परन्तु पंजीयन राशि के साथ रु 354/- की डीडी/पे-ऑर्डर अलग से संलग्न करना अनिवार्य है।



GROUND FLOOR PLAN
LIG (06.00 x 15.00 mtr.)



SCHEDULE OF OPENING

S.NO.	TYPE	SIZE	SILLEL	LINTEL LEL.
1.	D	1.0*2.55 M		2.55 M
2.	D1	1.0*2.1 M		2.1 M
3.	D2	0.90*2.1 M		2.1 M
4.	D3	0.80*2.1 M		2.1 M
5.	W	1.5*1.65 M	0.90 M	2.5 M
6.	W1	1.5*1.2 M	0.90 M	2.1 M
7.	W2	1.2*1.45 M	1.1 M	2.55 M
8.	W3	1.2*1.2 M	0.90 M	2.1 M
9.	W4	0.90*0.70 M	0.90 M	1.6 M
8.	V1	0.60*0.60 M	1.5 M	2.1 M

NOTE:-

1. PLOT AREA = 162.00 SQ.MTS.
2. AVERAGE PLINTH LEVEL 600 TO 750 MM
3. ALL DIMENSIONS ARE IN M.
4. AREA OF CONSTRUCTION ■

TYPE DESIGN OF PLOT SIZE 9.0 X 18.0 M (M.I.G-B)

DRG:- RHB/HQ/2010/15	SCALE:-
DATE:-16.08.2010	FILE NO.:-
DEALT BY:- B.S. RAJPUROHIT	CHECKED:-
(KAILASH NARAIN) ASS. ARCHITECT	DEPUTY TOWN PLANNER
(M. TAORI) ADD. CHIEF TOWN PLANNER	(H.C. AGARWAL) CHIEF ENGINEER

RAJASTHAN HOUSING BOARD

शपथ पत्र

मैं पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री
आयु वर्ष, जाति निवासी
.....एतद्वारा सशपथ घोषणा करता / करती हूँ कि:-

1. मैं भारत का / की नागरिक हूँ।
2. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय-समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूँ तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।
3. यह कि मैं इस योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी का सदस्य रहूंगा तथा सोसायटी के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा / करूंगी।
4. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात मण्डल के संज्ञान में आती है, तो आवेदन पत्र / आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर शपथ गृहिता

सत्यनिष्ठा

मैं पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री
निवासी सत्यनिष्ठा से घोषणा करता / करती हूँ
कि उपरोक्त पैरा 1 से 4 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथ गृहिता

हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 50 / - रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक / कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

गैर वेतनभोगी आवेदकों के लिए

आय प्रमाण-पत्र हेतु शपथ-पत्र

(आवश्यक नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

शपथ पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
आयु..... जाति निवासी
(अनुसूचित जाति/जनजाति यदि है तो अंकित करें) सशपथ बयान करता/करती हूँ:-
यह कि मेरे परिवार की वर्ष 2019-2020 में वार्षिक आय समस्त स्रोतों से निम्न प्रकार है-
अ. स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि उद्योग दुकान या अन्य स्रोतों से
रुपये है।
ब. मेरे पति/पत्नी, अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार, उद्योग, एजेन्सी दुकान
अथवा कृषि उद्योग एवं अन्य स्रोतों से वार्षिक आयरुपये है।
स. यह कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 में मेरे परिवार की कुल आमदनीरुपये है।

**शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/ निशानी अंगूठा**

सत्यापन

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
जाति निवासी
सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार सही सत्य है
तथा मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

**शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/ निशानी अंगूठा**

(शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए तथा आवेदक द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ ही आय के स्रोत अथवा उनके स्वामित्व की कृषि भूमि से प्राप्त आय की विवरणिका शामिल किया जाना आवश्यक है।)

आय प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री इस विभाग / उपक्रम / कम्पनी / संस्था
(विभाग / संस्था का नाम) में पद
पर कार्यरत हैं एवं ये (केन्द्र / राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र / राजस्थान सरकार के उपक्रम / प्राईवेट
सेक्टर के) नियमित कर्मचारी हैं। इनकी 2019-20 की सकल वार्षिक आय रुपये
थी।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय मोहर
विभाग/उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती /
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री निवासी
जिला संभाग राज्य जाति
के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति / जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अनुसूचित
जाति / जनजाति में है।

हस्ताक्षर
तहसीलदार
(कार्यालय की मुहर)

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री निवासी
जिला स्वतंत्रता सैनानी है। इन्हें वर्ष में राज्य सरकार द्वारा ताम्र-पत्र /
प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर

जिला कलक्टर / उप सचिव / सहायक सचिव
(सामान्य प्रशासन विभाग)
राजस्थान सरकार, जयपुर

शौर्य पदक प्राप्त सैनिकों के लिए

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री निवासी
ने वर्ष में निम्नलिखित शौर्य पदक प्राप्त किये।

1.
2.
3.

सचिव
राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री निवासी ग्राम.....
जिला अधिस्वीकृत पत्रकार है। इनका पत्र / पत्रिका (नाम)
..... नियमित रूप से प्रकाशित होता / होती है।

हस्ताक्षर

सक्षम अधिकारी
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय

भूतपूर्व सैनिकों के लिए/सैन्य विधवा प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री निवासी
..... सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक है / युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा है / युद्ध में हताहत हुए
विकलांग सैनिक है।

सचिव
राज्य / जिला सैनिक कल्याण बोर्ड

(यह प्रमाण पत्र केवल भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवा आवेदकों को संलग्न करना अनिवार्य है।)

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र/
लोकसभा क्षेत्र/राज्यसभा से विधानसभा/लोकसभा/राज्यसभा के सत्र के सदस्य हैं।

हस्ताक्षर

महासचिव/सचिव
लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा सचिवालय

भूतपूर्व विधायकों/सांसदों के लिए

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा क्षेत्र/
राज्यसभा, जिला से सत्र में सदस्य रहे हैं एवं भूतपूर्व
विधायक/सांसद हैं।

हस्ताक्षर

महासचिव/सचिव
लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा सचिवालय



राजस्थान आवासन मण्डल

“पंजीकरण योजना वर्ष 2020”
(अटल नगर आवासीय योजना, भीण्डर)
अल्प आयवर्ग एवं मध्यम आयवर्ग-ब
के स्वतंत्र आवासों हेतु

क्र. सं.	आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक द्वारा चैक किए जाने वाले बिन्दु	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय द्वारा चेक किए गए बिन्दु
1.	क्या आवेदक का नाम/पिता का नाम अंकित है?	हाँ/नहीं
2.	क्या आवेदक द्वारा अपना हाल ही में खिंचवाया गया फोटो यथास्थान चिपकाया है?	हाँ/नहीं
3.	क्या आवेदक के फोटो पहचान-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार)	हाँ/नहीं
4.	क्या आवेदक के पते के प्रमाण-स्वरूप दस्तावेज संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार) ?	हाँ/नहीं
5.	क्या आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के विवरणानुसार पेनकार्ड की प्रति संलग्न की है?	हाँ/नहीं
6.	क्या आय वर्ग आवेदक की आय के अनुसार सही दर्शाया गया है?	हाँ/नहीं
7.	क्या आय वर्ग प्रमाण पत्र संलग्न किया है?	हाँ/नहीं
8.	क्या आवेदक आरक्षित आय वर्ग में आता है?	हाँ/नहीं
9.	क्या आरक्षित वर्ग के लिए प्रमाण पत्र संलग्न है?	हाँ/नहीं
10.	क्या पंजीकरण राशि जमा है?	हाँ/नहीं
11.	क्या पंजीकरण राशि आय वर्ग के अनुसार सही है?	हाँ/नहीं
12.	क्या वांछित राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न है?	हाँ/नहीं

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

- आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया एवं आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार विवरण सही पाया गया।
- आवेदक का गुप है –सामान्य /अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/विकलांग/पुरस्कृत /पदक
- आवेदक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य / अयोग्य पाया गया।
- अन्य टिप्पणी.....

क.सहायक/सहायक

कार्यालय अधीक्षक

स.आवासन अधिकारी/सम्पदा प्रबन्धक



राजस्थान आवासन मण्डल

“पंजीकरण योजना वर्ष 2020”
(अटल नगर आवासीय योजना, भीण्डर)

आवेदक का
नवीनतम फोटो

आवेदन क्रमांक :

आवेदन पत्र

आवेदित आय वर्ग : (सम्बन्धित आय वर्ग लिखें)

1	आवेदक/आवेदिका का नाम (आवेदक स्वयं का नाम स्पष्ट अंकित करें, इसमें किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	श्री / श्रीमती
2	पिता / पति का नाम (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	श्री
3	जन्म तिथि	
4	राष्ट्रीयता	
5	स्वयं की पहचान हेतु वांछित दस्तावेज (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)	आधार कार्ड/पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/डाईविंग लाइसेन्स/ बिजली/पानी/टेलीफोन बिल/भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र/ अन्य फोटोयुक्त मान्य दस्तावेज
6	व्यवसाय का स्वरूप इंगित करें (✓) करें (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	वैतनिक ☐ अवैतनिक ☐
7	आवेदक का पता (दस्तावेज संलग्न करें) (मण्डल द्वारा इसी पते पर पत्र व्यवहार किया जायेगा)	दूरभाष नं. मोबाईल नं. ई-मेल आईडी
8	आवेदक /आवेदकों की कुल वार्षिक आय (रुपये में) (वित्तीय वर्ष 2019-20) पैन नं. (लागू हो, तो आवश्यक लिखें) (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	
	(अ) स्वयं की आय (ब) पति/पत्नी की आय (स) आश्रितों की आय	
	कुल वार्षिक आय (अ+ब+स) :	
9	यदि आवेदक पूर्व पंजीछत है तो पंजीकरण प्रपत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें	
	क) आय वर्ग, जिसमें पंजीकरण हुआ है	
	ख) पंजीकरण का वर्ष	
	ग) वरीयता क्रमांक	
आवेदित पंजीकरण का विवरण		
10	पंजीकरण राशि रु.	वर्तमान आवेदित आर्य वर्ग
11	बैंक ड्राफ्ट सं. बैंक का नाम	 दिनांक राशि रु.
12	भुगतान की पद्धति	नगद भुगतान पद्धति ☐ किराया क्रय पद्धति ☐
13	निम्नांकित तालिका में अपना वर्ग (श्रेणी) इंगित (✓) करें (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
	जी-1 : वैतनिक श्रेणी वैतनिक श्रेणी-प्रथम (G-1-I) (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी/प्राईवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी) वैतनिक श्रेणी-द्वितीय (G-1-II) (राज्य सरकार के कर्मचारी/अधिकारी)	जी-2 : अवैतनिक श्रेणी अवैतनिक श्रेणी-प्रथम (G-2-I) - सामान्य अवैतनिक श्रेणी-द्वितीय (G-2-II) - प्रोफेशनल (केवल प्राफेशनल एडवोकेट. चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट एवं प्राईवेट डॉक्टर्स)
	जी-3 : राजस्थान आवासन मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	जी-4 : अनुसूचित जाति
	जी-5 : अनुसूचित जन जाति	जी-6 : वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद/ अधिस्वीकृत पत्रकार
	जी-7 : स्वतंत्रता सैनानी	जी-8 : भूतपूर्व सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं
	जी-9 : दिव्यांग (अंधता/शारीरिक/मूक बधिर)	जी-10 : वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाडी

राजस्थान आवासन मण्डल

आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद
(अटल नगर आवासीय योजना, भीण्डर)
“पंजीकरण योजना वर्ष 2020”

आवेदन क्रमांक :

श्री/श्रीमती से आय वर्ग हेतु
योजना के अन्तर्गत ऊपर वर्णित क्रमांक का आवेदन पत्र प्राप्त किया।
मय ड्राफ्ट संख्या दिनांक बैंक का नाम
शाखा
(नोट : उपरोक्त समस्त पूर्तियां आवेदन स्वयं भरे)

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

14	आवेदक का बैंक बचत खाता संख्या, जिसमें पंजीकरण नहीं होने की स्थिति में रिफण्ड की राशि का चैक भिजवाया जा सके :-			
अ.	बैंक, शाखा एवं शहर का नाम			
ब.	बचत खाता संख्या			
स.	आईएफएससी कोड			
15	संलग्नक			
	(i) स्वयं की पहचान का फोटोयुक्त दस्तावेज (ii) पैन नम्बर (लागू हो तो) और भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र नम्बर (यदि हो तो) (iii) पते का प्रमाण-पत्र (iv) आय का प्रमाण-पत्र (v) पूर्व पंजीकरण से संबंधित प्रमाण प्रपत्र (यदि कोई हो) (vi) पंजीकरण राशि का बैंक ड्राफ्ट (vii) श्रेणी विशेष का प्रमाण पत्र (viii) स्वयं अथवा पति-पत्नि अथवा आश्रितों के नाम कोई भूमि / भवन न होने संबंधी शपथ पत्र। (ix) अन्य वाछिंत प्रमाण पत्र / शपथ पत्र।			
16	क्या स्वयं अथवा आश्रित सम्बंधी के पास पूरा या भाग के रूप में कोई फ्री होल्ड/पट्टे पर उदयपुर जिले में कोई भूखण्ड या मकान है, यदि हां तो उसका विवरण :			
17	घोषणा :-			
	1. मैं इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है।			
	2. मैं इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये पंजीकरण के अनुबंधों एवं शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया तथा समझ लिया है और मैं उनका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ।			
	3. मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं कराता हूँ तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहुंगी।			
	4. मेरी मृत्यु होने की दशा में, मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिमानक्रम में नाम निर्देशित करता/करती हूँ :-			
	क्र.सं.	नाम	आयु	सम्बन्ध
	प्रथम			
	द्वितीय			
	तृतीय			

सत्यापित
(नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी)
मुहर के साथ

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम
स्थान
दिनांक

चालान संख्या :



राजस्थान आवासन मण्डल

“पंजीकरण योजना वर्ष 2020”
(अटल नगर आवासीय योजना, भीण्डर)

प्रथम प्रति

(आवेदक द्वारा भरा जावे)

1. आवेदक / आवेदिका का नाम

2. पत्र व्यवहार का पता

3. भुगतान पद्धति : नकद / किराया क्रय

4. आय वर्ग :

5. बैंक डी.डी नं. :

बैंक का नाम :

दिनांक :

6. पंजीकरण राशि (अंकों में)

(शब्दों में)

दिनांक :
स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

चालान संख्या :



राजस्थान आवासन मण्डल

“पंजीकरण योजना वर्ष 2020”
(अटल नगर आवासीय योजना, भीण्डर)

द्वितीय प्रति

(आवेदक द्वारा भरा जावे)

1. आवेदक / आवेदिका का नाम

2. पत्र व्यवहार का पता

3. भुगतान पद्धति : नकद / किराया क्रय

4. आय वर्ग :

5. बैंक डी.डी नं. :

बैंक का नाम :

दिनांक :

6. पंजीकरण राशि (अंकों में)

(शब्दों में)

दिनांक :
स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

चालान संख्या :



राजस्थान आवासन मण्डल

“पंजीकरण योजना वर्ष 2020”
(अटल नगर आवासीय योजना, भीण्डर)

तृतीय प्रति

(आवेदक द्वारा भरा जावे)

1. आवेदक / आवेदिका का नाम

2. पत्र व्यवहार का पता

3. भुगतान पद्धति : नकद / किराया क्रय

4. आय वर्ग :

5. बैंक डी.डी नं. :

बैंक का नाम :

दिनांक :

6. पंजीकरण राशि (अंकों में)

(शब्दों में)

दिनांक :
स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

चालान संख्या :



राजस्थान आवासन मण्डल

“पंजीकरण योजना वर्ष 2020”
(अटल नगर आवासीय योजना, भीण्डर)

चतुर्थ प्रति

(आवेदक द्वारा भरा जावे)

1. आवेदक / आवेदिका का नाम

2. पत्र व्यवहार का पता

3. भुगतान पद्धति : नकद / किराया क्रय

4. आय वर्ग :

5. बैंक डी.डी नं. :

बैंक का नाम :

दिनांक :

6. पंजीकरण राशि (अंकों में)

(शब्दों में)

दिनांक :
स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

(5)



POSITION AS ON : 16.05.2019
DETAILS OF VACANT LANDS

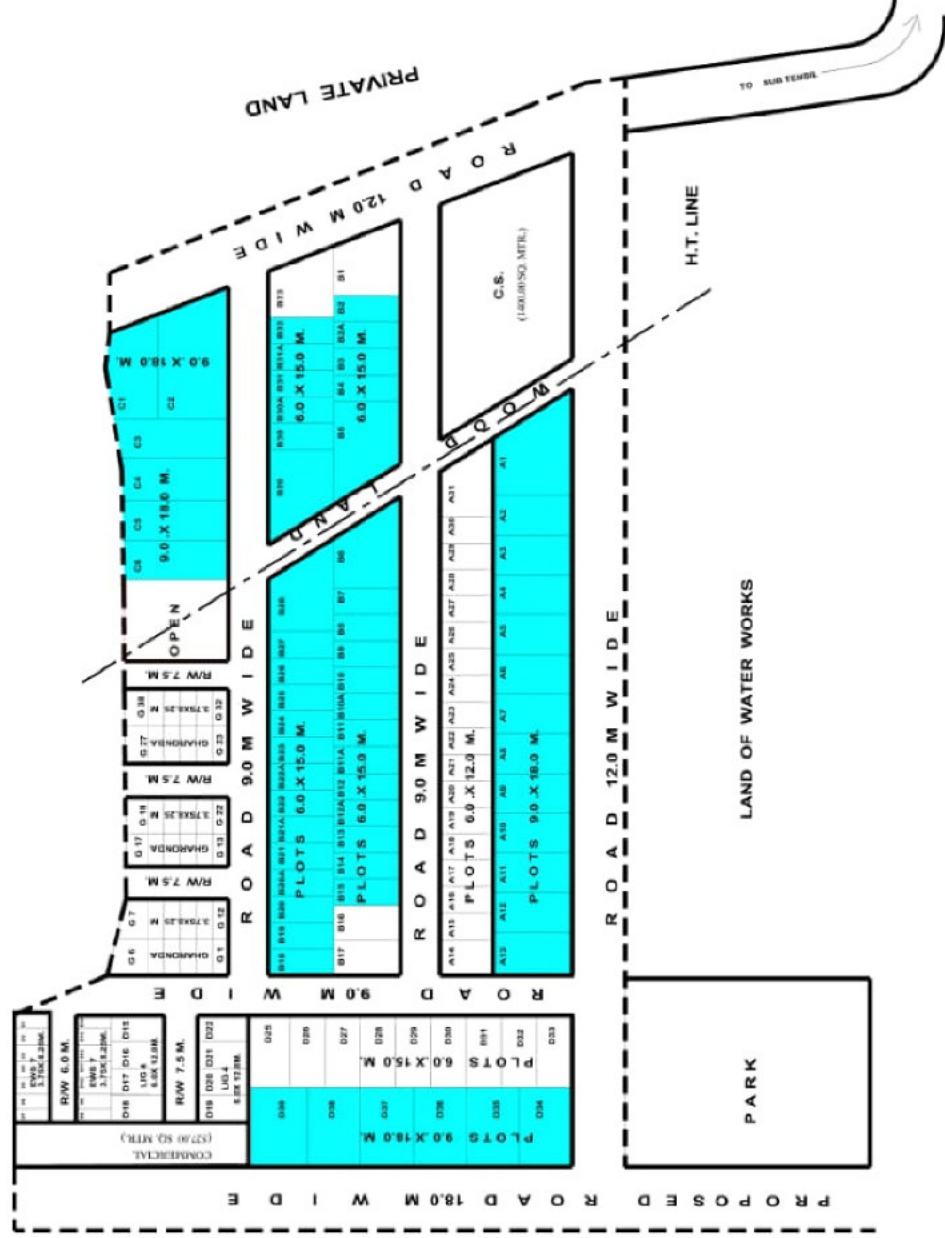
1. VACANT RESIDENTIAL PLOTS / LAND	
2. COMMERCIAL PLOTS / LAND	
3. INSTITUTIONAL	
4. O.C.F.	
5. RESERVE	
5. HEALTH	

SCHEDULE OF PLOTS :-

S. NO.	CATE- GORY	SIZE IN Mtr.	HOUSES PLANNED	HOUSES COMPLETED	VACANT PLOTS	REMARKS
1.	E.W.S.	3.75 X 8.25	46	46	-	
2.	L.I.G.	5.00 X 12.00	25	25	-	
3.	L.I.G.	6.00 X 15.00	38	0	38	
4.	M.I.G.-I	6.00 X 15.00	8	8	-	
5.	M.I.G.-II	8.00 X 15.00	2	2	-	
6.	M.I.G.-II	9.00 X 18.00	25	0	25	
7.	H.I.G.	9.00 X 18.00	2	2	-	
	TOTAL		146	83	63	

LAY OUT PLAN OF ATAL
NAGAR , BHINDER, DIST. UDAIPUR
RAJASTHAN HOUSING BOARD

PRIVATE LAND



हमारी खुशी का संसार
हमारा अपना घर



राजस्थान आवासन मण्डल